



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

विविध - १८४- PB ०२/६

प्रकरण क्रमांक

/2016 विविध न्याया अवमानना वाद

1- मनजीत पुत्र नारायण सिंह मीना

2- सचिन पुत्र मोहनसिंह मीना (ना.बा.)

3- अभिनंदन पुत्र मोहनसिंह मीना (ना.बा.) संरक्षक माँ
श्रीमती विनीताबाई पत्नी मोहनसिंह मीना निवासीगण-
ग्राम डोंगर, तहसील राधौगढ़, ज़िला गुना (म.प्र.).....
.....प्रार्थीगण

बनाम

1- श्री ए.की.वाजपेयी (अरविन्द

वाजपेयी) अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ़ ज़िला
गुना (म.प्र.)

2- श्रीमती गायत्रीबाई पुत्री स्व. कन्हैयालाल पत्नी
परमालसिंह मीना निवासी- ग्राम नलखेड़ा,
तहसील चाचौड़ा, ज़िला गुना (म.प्र.)

3- गीताबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी हरस्वरूप मीना
निवासी- ग्राम ऊर्मिंदपुर, तहसील राधौगढ़,
ज़िला गुना (म.प्र.)

4- ओमवतीबाई पुत्री कन्हैयालौल पत्नी ओमप्रकाश
मीना निवासी- ग्राम महेशपुरा, तहसील चाचौड़ा,
ज़िला गुना (म.प्र.)

प्रतिप्रार्थीगण

न्यायालय अवमानना आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 2 एवं 12

न्यायालय अवमानना अधिनियम ।

Adm

श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा आज दि. २८.०९.१६ को
प्रस्तुत

लक्ष्मण सिंह
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
२८.०९.१६

(Lakshman Singh २८.०९.१६
Adv.)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर

अनुशृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9184-पीबीआर/2016

जिला गुना

सामने तथा दिलेका	कार्यालयी तथा आदेश	प्रशासनीय अधिकारीका नाम के संसाकार
7-12-16	<p>आवेदकगण की ओर से श्री एस०एल०धाकड़ अधिवक्ता उपस्थित उन्हें सुना गया प्रकरण का अवलोकन किया गया यह प्रकरण विविध और अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिये आवेदकगण स्वतंत्र है आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आदेश के विरुद्ध अपील भी प्रस्तुत कर दी गई है, इसलिये इस न्यायालय में यह विविध प्रकरण चलाये जाने का कोई औचित नहीं है अतः प्रकरण समाप्त किया जाता है </p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>अध्यक्ष</i></p>	